

बिहार सरकार  
उद्योग विभाग (तकनीकी विकास)

आदेश

बिहार स्टार्ट-अप नीति, 2017, विभागीय संकल्प सं०-357 दिनांक 17.03.2017 द्वारा अधिसूचित की गई जो अधिसूचना निर्गत की तिथि से पाँच वर्षों के लिए लागू है। इस नीति की कंडिका-1.5 में निहित प्रावधान के तहत बिहार स्टार्ट-अप फंड ट्रस्ट को नीति के कार्यान्वयन हेतु नोडल एजेंसी नामित किया गया है।

2. औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्ध सरकारी पत्र सं०- P/38015/101/2017-Startup India-Pt(1) दिनांक 16.02.2018 के आलोक में बिहार सरकार की तरफ से नीति के कार्यान्वयन हेतु उद्योग विभाग, बिहार, पटना को नोडल विभाग एवं प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को नोडल पदाधिकारी नामित किया जाता है।

उक्त प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, उद्योग विभाग, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

निदेशक, तकनीकी विकास,  
तकनीकी विकास निदेशालय,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- /पटना, दिनांक-

सं०सं०- 4तक०/स्टार्टअप कार्यशाला/19/2018

प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक P-38015/101/2017-startup India-pt(1) दिनांक 16.02.18 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


ह०/-

निदेशक, तकनीकी विकास,  
तकनीकी विकास निदेशालय,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 658 /पटना, दिनांक- 26.04.18

सं०सं०- 4तक०/स्टार्टअप कार्यशाला/19/2018

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, तकनीकी विकास के निजी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
25.04.2018

निदेशक, तकनीकी विकास,  
तकनीकी विकास निदेशालय,  
बिहार, पटना।